

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:- 438742 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 29/08/2019
ग्रा0वि0-3/स्था0-9-7/19

ग्रामीण विकास विभाग के निम्नांकित प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) को उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित जिला में उनके मूल पद अर्थात् प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी क्रम संख्या-1, 2, 3 एवं 4 में अंकित पदाधिकारी को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापित करेंगे तथा क्रम संख्या-5 पर अंकित पदाधिकारी को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापन कर कार्यहित में उनके अपने ही वेतनमान में जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपेंगे :-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम एवं आई.डी. संख्या	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	प्रस्तावित पद का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलराम सिंह (RDD/001227)	नालन्दा	प्रतीक्षारत	प्रसार पदाधिकारी	जहानाबाद
2	श्री अरविन्द कुमार मुन्ना (RDD/001745)	पटना	प्रतीक्षारत	प्रसार पदाधिकारी	वैशाली
3	श्री मिथिलेश कुमार (RDD/001061)	सारण	प्रसार पदाधिकारी, कैमूर	प्रसार पदाधिकारी	सारण
4	श्री प्रदीप लाल (RDD/000028)	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण विकास विभाग (मुख्यालय)	प्रसार पदाधिकारी	सिवान
5	श्री तरुण कुमार केशरी (RDD/001370)	पटना	ग्रामीण विकास विभाग (मुख्यालय)	प्र0पदा0 सह स0परि0पदा0	भागलपुर

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. नव अधिसूचित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर संबंधित जिला में योगदान करेंगे तथा जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ रिक्त प्रखंड में एक सप्ताह के अन्दर इनका पदस्थापन कर विभाग को संसूचित करेंगे।

4. प्रतीक्षारत प्रसार पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पारगमन काल का उपभोग किये बिना अविलंब अधिसूचित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इस अतिरिक्त प्रभार के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और न ही इनका किसी प्रकार का एतदर्थ दावा मान्य होगा ।

6. नव अधिसूचित पदाधिकारी के माह सितम्बर, 2019 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा ।

(राधा किशोर झा)
अपर सचिव

जापांक 438742

दिनांक:- 29/08/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-9-7/19

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, जहानाबाद, वैशाली, सारण, सिवान, कैमूर एवं भागलपुर/ उप विकास आयुक्त, जहानाबाद, वैशाली, सारण, सिवान, कैमूर एवं भागलपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद, वैशाली, सारण, सिवान, कैमूर एवं भागलपुर / संबंधित पदाधिकारी /प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 6⁹ एवं 14, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राधा किशोर झा)
अपर सचिव

जापांक 438742

दिनांक:- 29/08/2019

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव /सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

(राधा किशोर झा)
अपर सचिव
29/8/19